

कांग्रेस को 250 के आसपास सीटें देना चाहता है संयुक्त विपक्ष?

चर्चाओं के अनुसार सीट शेयरिंग का बेसिक फॉर्मूला है कि, 2019 में जिस पार्टी ने जो सीट जीती, वो उसकी, तथा नंबर-2 पर रही पार्टी को प्राथमिकता देना इस फॉर्मूला का दूसरा स्टेज है



विख्यात चित्रकार रेम्ब्रन्ट को अन्य समकालीन कलाकारों के विपरीत अपने जीवनकाल में ही असाधारण सफलता मिल गई थी। इस डच कलाकार की कलाकृतियों ने केवल नीदरलैंड्स में बल्कि पूरे यूरोप में विख्यात थीं। उसके शिष्य भी 'डच गोल्डन एज' में काफी प्रभावशाली हुए। रेम्ब्रन्ट एक जानी मानी हस्तियाँ हैं, इस लिए 17 वीं सदी के इस कलाकार की अज्ञात एवं अतिदुर्लभ कृतियाँ मिलने से कला जगत में खलबली मच जाती है। क्रिस्टीज़ ऑक्शन हाउस में, पुराने महान कलाकारों के विशेषज्ञ, हैरी पैटिंगर को हाल ही में रेम्ब्रन्ट की दो कृतियाँ मिली हैं। उन्होंने बताया कि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, ये पैटिंग्स पूरी तरह से अज्ञात थीं और 19 वीं और 20 वीं सदी के, रेम्ब्रन्ट से संबंधित किसी भी साहित्य में इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस पैटिंग्स को संभवतया 200 साल पहले जनता ने देखा था। एक पैटिंग में प्लम्बर, जैम विल्लैस वैन डर प्लोयम और दूसरी में उसकी पत्नी जापेन कॅरैल्स नजर आ रहे हैं। यह युगल डच शहर लायडन में रहता था। उनका रेम्ब्रन्ट से आजीवन रिश्ता रहा। उनके बेटे की शादी रेम्ब्रन्ट की चचेरी बहन से हुई थी और समझा जाता है कि, 'इस शादी से जन्मे पुत्र ने रेम्ब्रन्ट से कला की ट्रेनिंग ली थी। ये लोग रेम्ब्रन्ट के बेहद करीबी थे। इस परिवार ने ही 1824 में ये कलाकृतियाँ एक ब्रिटिश परिवार को बेची थीं, जिनके पास आज भी ये मौजूद हैं। इस ब्रिटिश परिवार को पता नहीं था कि पैटिंग्स के उनके संग्रह में ये दो दुर्लभ पैटिंग थी हैं। सन् 1635 की हस्ताक्षरित ये दोनों दुर्लभ कलाकृतियाँ 8 इंच लम्बी और साढ़े 6 इंच चौड़ी हैं। पैटिंगर ने कहा, 'मुझे लगता है कि रेम्ब्रन्ट द्वारा बनाए गए ये सबसे छोटे पैटिंग्स हैं'।

‘अपवाद कानून नहीं हो सकता’

हाई कोर्ट ने गैर आर.ए.एस. को पदोन्नत कर आई.ए.एस. बनाने पर तीखी टिप्पणी की

-यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर, 29 मई। राजस्थान हाई कोर्ट में गैर आर.ए.एस. (राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) से सीधे "इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस" (आई.ए.एस.) अफसर के पद पर एक 'सब-कोटा' के माध्यम से पदोन्नत किए जाने की प्रथा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से इस प्रथा के संबंध में जवाब मांगा है और पिछले पाँच वर्ष के आँकड़े भी मांगे हैं। एक्टिंग सी.जे.एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व अन्य की याचिकाओं पर दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि 'ऑल इंडिया सर्विस एक्ट' व उसका नियम-विनियम के तहत 66.67 प्रतिशत आई.ए.एस. अफसर 'यू.पी.एस.सी.' परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती किए जाते हैं। वहीं 33.33 प्रतिशत आई.ए.एस. पद राज्य के प्रशासनिक अफसरों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया कि अपवाद स्वरूप में गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी आई.ए.एस. के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। परन्तु इन अफसरों की संख्या राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत होने वाले अफसरों की कुल संख्या की केवल 15 प्रतिशत तक ही हो सकती है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि यह नियम एक अपवाद है और यह तरीका पदोन्नति की नियमित प्रक्रिया नहीं हो सकती। तनवीर अहमद ने बताया कि राज्य सरकार ने इस अपवाद को प्रथा मान कर पिछले कई वर्षों से आर.ए.एस. अफसरों से पदोन्नत होकर आई.ए.एस. बनाए जाने वाले कुल अफसरों में से 15 प्रतिशत का कोटा गैर आर.ए.एस. अफसरों का बना दिया है, जिस पर निरंतर अमल किया जा रहा है। अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि अगर ऐसी प्रथा अपनाई जा रही है तो यह नियम का साफ उल्लंघन होगा। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है। सुनवाई की अगली तारीख जुलाई में तय की गई है।

पेपर लीक...
(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सरकार ने ये आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की थी। इस बैठक में अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को भी प्रमोट किया गया था। अचंचल की बात है कि, शिक्षा विभाग ने बर्खास्त हो चुके शेर सिंह मीणा को प्रमोट कर दिया। इतना ही नहीं उसका पदस्थान भी कर दिया गया। निदेशक गौरव अग्रवाल ने शाम होते-होते इस आदेश को वापस ले लिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सोमवार सुबह गौरव अग्रवाल को ही पद से हटा दिया। शिक्षा विभाग में पदोन्नति करने से पहले सभी कार्मिकों का रिपोर्ट देखा जाता है। प्रत्येक कार्मिक के रिपोर्ट की जांच की जाती है। आपत्ति भी मांगी जाती है। डी.पी.सी. होने के बाद भी करीब एक महीने का वक्त रहता है। लेकिन, इसके बाद भी किसी के ध्यान में नहीं आया कि सेवा से बर्खास्त हो चुके कार्मिक को कैसे पदोन्नति दी गई। जब यह खबर प्रमुखता से चली कि, एक करोड़ रुपये में सीनियर टीचर भर्ती का पेपर बेचने वाले मास्टरमाइंड अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को शिक्षा निदेशालय ने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन कर दिया तो शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने रात में नया आदेश जारी किया।

‘महिला चिकित्सक...
(प्रथम पृष्ठ का शेष)
की हकदार थी। उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भी पादयंत्रक शुरू होने के पहले, एक तय तिथि के उपरान्त नए "एडमिशन" नहीं दिये जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, केवल "रेअरेस्ट ऑफ रैअर" यानी बिस्कुल ही अनुठी स्थितियों में ही इस नियम को तोड़ा जाना चाहिये। हाई कोर्ट ने उक्त मामले को "रेअरेस्ट ऑफ रैअर" माना है और अपीलार्थी को अगले सत्र में प्रवेश दिया है। अपील में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि, अपीलार्थी वर्ष 2015 में डैटल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई थी। साल 2018 में उसे अलवर की मंडावर कम्प्यूनिटी हेल्थ सेंटर (सी.एच.सी.) में नियुक्त किया गया। इसके बाद कोरोना काल में उसे अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त दी गई। जहाँ उसने कुल 750 दिन तक काम किया। अपील में कहा गया कि, गत वर्ष की नीट पीजी परीक्षा में उसे नियमानुसार बीस बीस अंक दिए जाने थे, लेकिन उसे इसका लाभ नहीं दिया गया। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार व अन्य की ओर से कहा गया कि, अपीलार्थी की मूल नियुक्ति शहरी क्षेत्र में थी और उसे कार्य व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लगाया गया था। जहाँ उसे ग्रामीण भत्ता भी नहीं दिया गया था। ऐसे में उसकी ओर से दी गई सेनाओं को ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के तौर पर नहीं गिना जा सकता। इसी आधार पर एकलपीठ ने भी पूर्व में उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने माना कि, अपीलार्थी को बिना किसी गलती के पीजी पादयंत्रक में प्रवेश लेने से वंचित किया गया है। ऐसे में उसे अगले सत्र के पीजी पादयंत्रक में प्रवेश दिया जाए।

सी.बी.आई. ने ब्रिटिश एयरोस्पेस और रोल्स रॉयस कंपनी के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की

सी.बी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार 2003-2012 के बीच सेना के लिए 115 मॉर्डन हॉक विमानों की खरीद में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है

यह आरोप है कि, 2003-12 के दौरान साजिशा में शामिल इन आरोपियों ने 73.42 करोड़ ब्रिटिश पाउंड की लागत से 24 हॉक 115 एजेटो की खरीद का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

यह आरोप है कि, 2003-12 के दौरान साजिशा में शामिल इन आरोपियों ने 73.42 करोड़ ब्रिटिश पाउंड की लागत से 24 हॉक 115 एजेटो की खरीद का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

यह आरोप है कि, 2003-12 के दौरान साजिशा में शामिल इन आरोपियों ने 73.42 करोड़ ब्रिटिश पाउंड की लागत से 24 हॉक 115 एजेटो की खरीद का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

यह आरोप है कि, 2003-12 के दौरान साजिशा में शामिल इन आरोपियों ने 73.42 करोड़ ब्रिटिश पाउंड की लागत से 24 हॉक 115 एजेटो की खरीद का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।

मणिपुर में हिंसा और तेज हुई

हथियारबंद आतंकियों ने गाँवों में आम लोगों के घरों पर हमला किया, सुरक्षाबलों ने 25 हथियारबंद आतंकियों को गिरफ्तार किया है

इम्फाल, 29 मई (वार्ता)। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सोमवार को लीमाखों सैन्य मुख्यालय के पास खुरखुल एवं अन्य मैतेई गाँवों में हथियारबंद आतंकियों ने हमला किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने के कारण ग्रामीण आसपास के स्थानों की ओर भाग गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात राज्य पहुंचने वाले हैं जिसके लिए वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सैनिकों ने हथियार रखने एवं घरों को जलाने की कोशिश करने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य के सभी पाँच जिलों में पूरे दिन कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई और 3 मई से झड़पें शुरू होने के बाद से वहाँ इंटरनेट भी बंद है। मुख्यालय ने कहा कि यह संघर्ष अब सशस्त्र कुकी आतंकियों और सरकार के बीच है। इम्फाल पूर्व जिले में ईसास राइफल और मैगजिन के साथ तीन लोगों को 5.56 एमएम की 60 गोली, गोला-बारूद, एक चीनी हथगोला और एक डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया गया। एक अन्य घटना में सेना ने इम्फाल पूर्व में घरों को जलाने की कोशिश करने वाले 22 लोगों को गिरफ्तार किया, उनका घोर आरोप है कि, इन्होंने अपने आतंकियों ने देखा/लिख हथियारों से सेना की टुकड़ियों पर गोलियाँ भी चलाईं। उनके पास से पांच 12 बोर की डबल बैरल राइफल, तीन सिंगल बैरल राइफल, डबल बोर वाला एक देसी कट्टा और एक मजल लोडेड हथियार भी बरामद किया गया। सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों के बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित किया और आगजनी की अनेक घटनाओं को रोका। इस बीच, मणिपुर के मुख्य सचिव डॉ. विनीत जोशी ने एक आदेश में कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए कई लोग मणिपुर के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर रहे हैं लेकिन उनमें से कई सूचनाएं गलत, फर्जी और झूठी अफवाहें पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी गलत सूचनाएं जनता को गुमराह करती हैं, हिंसा भड़कती है और हथियारों का उपयोग करने और राज्य के खिलाफ विद्रोह करके राज्य में वर्तमान स्थिति को खराब करने की क्षमता रखती है, जिससे मानवीय जीवन को नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है और संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है।

दरगाह में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सुपरविजन में सलुम्बर धानाधिकारी लीलधर मालवीय के नेतृत्व में गठित दल ने इस मामले में आरोपी गोविन्द पुत्र बालाजी, ललित पुत्र पेमराम, कैलाश पुत्र नाथुलाल, दराराम पुत्र शंकरलाल, मांगीलाल पुत्र हिराजी, बीराराम पुत्र मवाराम निवासियाण पातुखेडा, कुराबख जिला उदयपुर को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सुपरविजन में सलुम्बर धानाधिकारी लीलधर मालवीय के नेतृत्व में गठित दल ने इस मामले में आरोपी गोविन्द पुत्र बालाजी, ललित पुत्र पेमराम, कैलाश पुत्र नाथुलाल, दराराम पुत्र शंकरलाल, मांगीलाल पुत्र हिराजी, बीराराम पुत्र मवाराम निवासियाण पातुखेडा, कुराबख जिला उदयपुर को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सुपरविजन में सलुम्बर धानाधिकारी लीलधर मालवीय के नेतृत्व में गठित दल ने इस मामले में आरोपी गोविन्द पुत्र बालाजी, ललित पुत्र पेमराम, कैलाश पुत्र नाथुलाल, दराराम पुत्र शंकरलाल, मांगीलाल पुत्र हिराजी, बीराराम पुत्र मवाराम निवासियाण पातुखेडा, कुराबख जिला उदयपुर को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया।

राष्ट्रदूत (एचयूपए) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोपेश शर्मा द्वारा वतन प्रसे, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रौड़, जयपुर। फोन: 2372634, 410333-334, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: हनुमान हॉटेल, हनुमान हॉटेल, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स: 0151-2527371, जयपुर कार्यालय: आयाद मै नंद आयाद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालौर कार्यालय: - जौ 1/63, इन्दुवृन्दल फरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 डिण्डोलीसिटी कार्यालय: - जौ -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिवाडीसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600